

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9719/2014-15/167 दिनांक

2 FEB 2015

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति -

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त वर्ष 2013-14 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के पुनर्भरण के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त राशि का आवंटन निर्देशानुसार किया जा रहा है:-

मांग संख्या-24 बजट मद 2202-01-800-(14)-[00]-57 (आयोजना व्यय) (राशि हजार रूपयों में)

क्र.स.	ऑफिस आई.डी.	कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राशि आवंटन		योग
			प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	1452	बी.ई.ई.ओ. नोखा (बीकानेर)	0	78.160	78.160
2	1630	बी.ई.ई.ओ. राजाखेड़ा (धौलपुर)	56.700	0	56.700
3	15571	जि.शि.अ. माध्यमिक शिक्षा पाली	77.527	77.528	155.055
		योग	134.227	155.688	289.915

(रूपये दो लाख नवासी हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र)


मांग संख्या-30 बजट मद 2202-01-796-(11)-[00]-57 (आयोजना व्यय) (राशि हजार रूपयों में)

क्र.स.	ऑफिस आई.डी.	कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राशि आवंटन		योग
			प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	1664	बी.ई.ई.ओ. सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)	16.395	16.395	32.790
		योग	16.395	16.395	32.790

(रूपये बत्तीस हजार सात सौ नब्बे मात्र)


आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं आवंटित राशि की सीमा में इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा-प्रारं/आरटीई/युनिट कास्ट/18882/13-14/102 दिनांक 22.05.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करते हुए किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।


लेखाधिकारी, 02.02.15
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग(निदेशक महोदय)।
4. अनुभाग अधिकारी, शिक्षा का अधिकार अनुभाग को उनकी अ.टि. क्रमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/अति.आवंटन/18890/13-14/29 दिनांक 06.01.2015 के क्रम में।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग। 27
6. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी 02.02.15